कार्यालय अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता(पीपीपी) सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः प.7(435)एसएचए/पीपीपी/2019–20/डी–790 जयपुर, दिनांकः 17/09/202

सार एवं घोषणा सम्बन्धी अधिसूचना जारी किये जाने में हुए विलम्ब की अवधि बढ़ाने हेतु राज्य सरकार द्वारा लिये निर्णय की सूचना।

यह कि राज्य सरकार द्वारा मंगलाना – मकराना – बोरावड SH-2B मय मकराना– बिदियाद– परबतसर SH-2D को विकसित करने हेतु भूमि अर्जन का विनिश्चय लेकर समसंख्यक पत्र दिनांक 27.05.2019 से जिला कलक्टर नागौर को सूचित किया। भूमि अवाप्ति एवं उपखण्ड अधिकारी मकराना जिला नागौर द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत प्रारम्भिक अधिसूचना दिनांक 14.02.20 जारी की गई जिसका राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 12.03.2020 को किया गया।

अधिनियम 2013 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत जारी घोषणा एवं सार सम्बन्धी अधिसूचना का प्रकाशन किये जाने से पूर्व शासन सचिव महोदय से अनुमोदन उपरान्त प्रकाशन किये जाने का प्रावधान है। उपखण्ड अधिकरी मकराना द्वारा धारा 19 के अन्तर्गत सार एवं घोषणा दिनांक 09.07.2021 को जारी की गई। अधिनियम 2013 की धारा 19 की उपधारा (7) निम्नवत है:–

(7) Where no declaration is made under subsection (1) within twelve months from the date of preliminary notification then such notification shall be deemed to have been rescinded.

इस प्रकार धारा 19(1) अन्तर्गत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन सम्बन्धी घोषणा प्रारम्भिक अधिसूचना की 12 मास की अवधि में किया जाना चाहिये अन्यथा यह समझा जायेगा कि वह (प्रारम्भिक अधिसूचना) विखण्डित कर दी गई है। धारा 19(7) के द्वितीय परन्तुक में राज्य सरकार को बारहमास की अवधि बढ़ाने की शक्ति विद्यमान है जंहा उसकी राय में ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जो हुए विलम्ब को न्यायोचित ठहराती है। धारा 19(7) का द्वितीय परन्तुक निम्नवत है:–

Provided further that the appropriate Government shall have the power to extend the period of twelve months, if in its opinion circumstances exist justifying the same.

भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मकराना नागौर के पत्र दिनांक 10.08.2021 द्वारा अवगत कराया की मंगलाना – मकराना – बोरावड SH-2B मय मकराना –

बिदियाद – परबतसर SH-2D के लिये अवाप्त की जाने वाली भूमि के लिए धारा 19(1) अन्तर्गत सार एवं घोषणा दिनांक 14.02.2021 की जाना था किन्तु कोविड 19 संक्रमण के कारण धारा 19 की कार्यवाही की मौका जांच LA plan अनुसार करवाये जाने में अधिक समय लग गया। इस प्रकार सार एवं घोषणा दिनांक 09.07.2021 को जारी की गई जिससे लगभग 5 माह का विलम्ब हुआ। ऐसी स्थिति में अवधि बढ़ाये जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

उपरोक्तानुसार प्रकरण में हुए विलम्ब के कारण 12 माह की अवधि को बढाये जाने हेतु राज्य सरकार सक्षम है। अतः अधिनियम 2013 की धारा 19(7) के द्वितीय परन्तुक की शक्ति के प्रयोग में घोषणा एवं सार सम्बन्धी अधिसूचना जारी करने की अवधि 8 माह के लिये बढ़ाया जाने का राज्य सरकार द्वारा विनिश्चय किया गया है।

उपरोक्त निर्णय की स्वीकृति राजस्थान सरकार के सक्षम स्तर से राजकाज संख्या प्रमुख शासन सचिव, सा.नि.वि./00810 दिनांक 08.09.2021 के अनुसरण में जारी की जाती है।

भवदीय,

15/09

(वी.के सिंह)

o/c अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता,
सा.नि.वि., पीपीपी, जयपुर

क्रमांक– प.7(435)एसएचए/पीपीपी/2019–20/डी– 790 जयपुर दिनांकः– 17/09/2021

प्रतिलिपिः–

1. जिला कलक्टर नागौर।
2. उपखण्ड अधिकारी मकराना, नागौर।
3. परियोजना निदेशक, पी.पी.पी., लक्ष्मणगढ़, सीकर।
4. विभागीय वेब–साईट पर अपलोड़ करने हेतु।

15/09

(वी.के सिंह)

o/c अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता,
सा.नि.वि., पीपीपी, जयपुर